

# Renewal NOC

 Print

## प्रारूप-झ (संलग्नक-9) अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/56054/GZB/GHAZIABAD/3713/CFO

दिनांक: 05-07-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST. TERESA SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO. SHAKTI KHAND-2, INDIRAPURAM, GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BASEMENT GROUND AND 03 FLOOR	4	1	13.80 mt.

तथा प्लाट एरिया **7998.75 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ST. TERESA SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन०बी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई०एस० के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **15-07-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MANJEET SINGH** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रूत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन०बी०सी० की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **17-07-2025** से **16-07-2028** तक 3 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

**Note :** यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है। 1-अर्ह अभिकर्ता/अग्निशमन अभियन्ता से वर्ष में न्यूनतम एक बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए०एम०सी०/ मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जायें। 3-विधुत सुरक्षा निदेशालय का विधुत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 4-भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा, यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Rahul Pal

AC551D1C1977602518FD17F7DCFBA9B10AD96EDA

17-07-2025

*Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.*